नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनायी गयी व्यवस्था :-

1) नीति निर्धारण की प्रक्रिया-

जोधपुर डिस्कॉम की स्थापना सार्वजनिक कम्पनी के रूप में की गयी है। इसका संचालन निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है। निदेशक मण्डल की नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा की जाती है। जोधपुर डिस्कॉम के लिये नीति निर्माण का कार्य राजस्थान राज्य विधुत विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है। विनियामक आयोग नीति गत निर्णय लेने से पहले यथा- टैरिफ का निर्धारण, कृषि नीति का निर्माण,औद्योगिक नीति का निर्माण आदि से पहले जनता एवं जनप्रतिनिधियों का दृष्टिकोण जानने के लिये जनसुनवाई करता है। इसके सम्बन्ध में समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाई जाती हैं। इस प्रकार नीति निर्धारण में जन प्रतिनिधियों से जोधपुर डिस्कॉम द्वारा प्रत्यक्ष सलाह नहीं ली जाती है। टैरिफ दर, अन्य प्रकार के शुल्क अथवा अन्य मामलों में जोधपुर डिस्कॉम के निर्णयों से संतुष्ट न होने पर राजस्थान राज्य आयोग में निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ नियमानुसार याचिका दायर की जा सकती है।

2)कार्यान्वयन में जनप्रतिनिधियों से परामर्श की व्यवस्था-

कार्यान्वयन के मामले में जनता एवं जन प्रतिनिधियों के दृष्टिकोण को जानने के लिये जोधपुर डिस्कॉम के अध्यक्षए प्रबंध निदेशकए मुख्य अभियंता तथा अन्य अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किसान प्रतिनिधियों एवं औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता की जाती है। राज्य सरकार द्वारा समय-समयपर चलाये जाने वाले विशेष कार्यक्रमों यथा- प्रशासन शहरों की ओर, प्रशासन गाँवों की ओर तथा समस्या समाधान शिविरों में जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारी भाग लेते हैं तथा जन समस्याओं की सुनवाई करते हैं।

33 के.वी. ग्रिड सबस्टेशनों की स्थापना के सम्बन्ध में जिला परिषदों, जिला आयोजना समितियों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं एवं नगर परिषदों द्वारा पारित प्रस्तावों के आधार पर तकनीकी साध्यता के अनुसार कार्यवाही की जाती है। ग्रामीण स्तर पर बनी विधुत समितियों में भी क्षेत्र/गाँव विशेष की आवश्यकताओं/समस्याओं के अनुसार जो प्रस्ताव पारित किये जाते हैं,उनके आधार पर सहायक अभियंता द्वारा कार्यवाही की जाती है।

3)समस्या समाधान शिविरों का प्रतिमाह आयोजन-

जोधपुर डिस्कॉम के उपखण्ड स्तर पर प्रत्येक सहायक अभियंता (प.व.स.) द्वारा अपने कार्यालय में प्रत्येक माह की 10 तारीख को समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जाता है। इस शिविर में कोई भी विधुत उपभोक्ता अपनी समस्या के सम्बन्ध में सादे प्रपत्र पर आवेदन कर सकता है।

प्रत्येक वृत्त स्तर पर अधीक्षण अभियंता (प.व.स.) द्वारा प्रत्येक माह की 20 तारीख को अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जाता है जिन उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान सहायक अभियंता स्तर पर नहीं हो पाता है, उन

उपभोक्ताओं को अपनी समस्या इस शिविर में रखने का अधिकार है।

कृषि श्रेणी विधुत उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिये जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंधन द्वारा आवश्यकता होने पर किसान संघों के प्रतिनिधियों से वार्ता की जाती है। इसी तरह औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियो से आवश्यकता होने पर जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंधन द्वारा वार्ता की जाती है।

उप जिला स्तर अभाव अभियोग समिति- सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं-

1. जिला प्रमुख अथवा उनके प्रतिनिधि 2. सम्बन्धित पंचायत समिति के प्रधान 3 नगर पालिका के अध्यक्ष/प्रशासक, 4. विकास अधिकारी, 5. जलदाय विभाग के सहायक अभियंता 6. जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत किसान समिमितियों के दो सदस्य, 7. उपखण्ड क्षेत्र के जिला परिषद के समस्त चयनित सदस्य. 8 जोधपुर डिस्कॉम के उपजिला से सम्बन्धित समस्त सहायक अभियंता 9. जोधपुर डिस्कॉम का सहायक अभियंता (मुख्यालय सदस्य-सचिव)।

जिले के सभी विधायक/सांसद उपजिला स्तर समिति की बैठकों में भाग लेना चाहेंए तो विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग ले सकते हैं।

4)जिला स्तर अभाव अभियोग समिति- यह समिति जोधपुर डिस्कॉम का सम्बन्धित मुख्य/अतिरिक्त/उपमुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में गठित की गयी है। इसके समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं- 1. जिले के समस्त सांसद, 2. जिले के समस्त विधानसभा सदस्य, 3. जिला कलक्टर का प्रतिनिधि. 4. जिला प्रमुख अथवा उनका प्रतिनिधि, 5. जिले में पदस्थापित जोधपुर डिस्कॉम के समस्त अधीक्षण अभियंता (प.व.स.), 6. जिले में पदस्थापित जोधपुर डिस्कॉम के समस्त अधिशासी अभियंता (प.व.स.) 7. अध्यक्ष/कमिश्नर/सचिव/अधिशासी अधिकारी विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/
नगर निगम/नगर पालिका, 8. मनोनीत सदस्य, जिला उद्योग केंद्र 9. रीको के स्थानीय अधिकारी 10. राजस्थान आवासन मण्डल के स्थानीय अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता 11. जलदाय विभाग के स्थानीय अधीक्षण/अधिशासी अभियंता 12. चेम्बर आफ कामर्स/उद्योग संस्थान के तीन पदाधिकारी 13. अध्यक्ष द्वारा अधिकृत एवं अधिशासी अभियंता (प.व.स.)- सदस्य सचिव। यदि जिले में इस सम्बन्ध में कोई स्वयं सेवी संस्था कार्य कर रही हो तो उसके भी प्रतिनिधि जिला/उपखण्ड स्तरीय समितियों में जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। उपरोक्त समितियों के माध्यम से कृषक एवं अन्य उपभोक्ता अपनी शिकायतें स्थानीय स्तर पर शीघ्र ही निपटवा सकते हैं।